वर्ष : 2022

खण्ड – i

राज्य सूचना आयोग की विशिष्टियों, कृत्य एवं कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(ख)(i) के अंतर्गत)

इस अधिकार का मूल मंतव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते हैं या 2 लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू एंव कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन, अधिसूचना क्रं. एफ–7–16/2005/1/6, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है।

छत्तीसगढ़ में आयोग के गठन होने के उपरांत प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए.के. विजयवर्गीय, को नियुक्त किया गया। श्री अनिल जोशी दिनांक 22.09.2008 को प्रथम राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पदभार ग्रहण कियें। अभी तक निम्नांकित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा आयोग में अपना कार्यकाल पूर्ण किये हैं :–

क्रं.	रा.मु.सू.आ. का नाम	कार्यालय ग्रहण करने की तिथि	सेवा पूर्ण करने की तिथि
1	**श्री एक.के.विजयवर्गीय**	07.11.2015	06.11.2010
2	**श्री सरजियस मिन्ज**	01.04.2011	15.03.2016
3	**श्री एम.के. राउत**	13.12.2017	11.11.2022

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के गठन के उपरांत निम्नांकित राज्य सूचना आयुक्त का कार्यालय निम्नानुसार रहा है:—

क्रं.	राज्य सूचना आयुक्त का नाम	कार्यालय ग्रहण करने की तिथि	सेवा पूर्ण करने की तिथि
1	**श्री अनील जोशी**	22.09.2008	21.09.2013
2	**श्री एस.के.तिवारी**	01.07.2010	02.06.2014
3	**श्री जवाहर श्रीवास्तव**	25.09.2013	24.08.2017
4	**श्री ए.के. सिंग**	05.08.2014	21.07.2019
5	**श्री मोहनराव पवार**	29.10.2015	28.10.2020
6	**श्री अशोक कुमार अग्रवाल**	24.11.2017	23.11.2022

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 3—1/2020/1—13, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04.03.2021 के द्वारा वर्तमान में श्री मनोज कुमार त्रिवेदी, ने राज्य सूचना आयुक्त के पद पर दिनांक 16.03.2021 को कार्यभार ग्रहण किये एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 3—1/2020/1—13, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04.03.2021 के द्वारा श्री धनवेंद्र जायसवाल ने भी राज्य सूचना आयुक्त के पद पर दिनांक 16.03.2021 को कार्यभार ग्रहण किये।

यह आयोग विधि अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय एवं कार्यालय नवा रायपुर में स्थापित किया गया है।

राज्य सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन का कार्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है एवं उनके कर्तव्य व शक्तियों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित है।

राज्य सूचना आयोग के मुख्यालय का पता, कार्यालीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार है :—

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का पता :—

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर 19 नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर,

अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड — 492002

(2) कार्यालीन समय

प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.30 बजे नियत

(3) अवकाश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही आयोग हेतु मान्य किये गये हैं।